



UPRN010030432026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,

रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

प्रकीर्ण वाद संख्या-257/2026

विजय पाल

बनाम

सजोल उर्फ अमर सिंह यादव आदि

दिनांक-14.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। कई बार पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4)बी०एन०एस०एस० इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रार्थी को सुनवाई हेतु कई बार अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। परन्तु आज भी न्यायालय में न तो प्रार्थी और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये हैं और न ही कोई स्थगन/मौका प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की अपने इस वाद में रूचि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी का वाद, प्रार्थी के बल देने हेतु उपस्थित न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का वाद निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,

रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।